मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें

महानगर, लखनऊ–226006

पत्र सं0–टीएस सीसीटीएनएस–58/2011(VII) दिनॉक़ लखनऊ : अक्टूबर 4 ,2017

सेवा में,

प्रमुख सचिव, गृह,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

कृपया अवगत कराना है कि सीसीटीएनएस पोर्टल पर थाना स्तर से फीड की गयी सूचनायें एवं उक्त सूचनाओं का स्टेट डाटा सेन्टर से सिंक होने पर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही सीएम डैशबोर्ड व ऑन–लाइन सीसीटीएनएस पोर्टल पर प्रदर्शित होती हैं। भविष्य में इन्हीं सूचनाओं के आधार पर पुलिस कार्यवाही की समीक्षा की जायेंगी।

सीसीटीएनएस पोर्टल पर विभिन्न तरह के प्रपत्र व सूचनायें थाना स्तर से फीड की जाती हैं, इनमें से फीड की जाने वाली कुछ सूचनायें निम्नलिखित हैं–

1– जनरल डायरी (GD)
2– प्रथम सूचना रिपोर्ट/ FIR (IIF 1)
3– अपराध विवेचना का विवरण (IIF 2)
4– गिरफ्तारी/आत्मसमर्पण प्रपत्र (IIF 3)
5– जब्ती प्रपत्र (IIF 4)
6– आरोप–पत्र/अन्तिम रिपोर्ट (IIF 5)
7– न्यायालय निपटान फार्म (IIF 6)
8– अपील प्रपत्र का परिणाम (IIF 7)
9– गुमशुदा व्यक्तियों का पंजीकरण (IIF 8)
10– अज्ञात व्यक्ति का पंजीकरण (IIF 9)
11– अज्ञात मृत शरीर का पंजीकरण (IIF 10)
12– अप्राकृतिक मृत्यु पंजीकरण (IIF 11)

13– संगठित आपराधिक गिरोह प्रोफाइल प्रपत्र

14– गिरोह / संगठन अपराधी गतिविधि विवरण।

15– सदस्य विवरण प्रपत्र

16– गैर संज्ञेय अपराध जानकारी रिपोर्ट

17– खोई सम्पत्ति पंजीकरण

18– लावारिश / परित्यक्त सम्पत्ति प्रपत्र

19– निवारक कार्यवाही का पंजीकरण

इन प्रपत्रों के अतिरिक्त सीसीटीएनएस पोर्टल पर सिटीजन सर्विसेज के तहत अन्य निम्नलिखित सुविधायें दी गयी हैं, जिनके प्रपत्र आम–नागरिकों द्वारा भरा जाता है एवं पुलिस द्वारा उस पर सम्बन्धित रिपोर्ट प्रेषित की जाती है। ये सेवायें निम्नलिखित हैं–

1– ऑन–लाइन शिकायत (On-line complaint)

2– चरित्र प्रमाण–पत्र (Character Certificate)

3– किरायेदार सत्यापन (Tenant verification)

4– कर्मचारी सत्यापन (Employee verification)

5– घरेलू सहायता सत्यापन (Domestic Help verification)

6– कार्यक्रम, अनुरोध (Event / Performance Request)

7– धरना, विरोध प्रदर्शन, हड़ताल, अनुरोध (Protest/ Strike Request)

8– जुलूस अनुरोध (Procession Request)

उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में व्यवस्थापित करीब 1467 थाने एवं जीआरपी के 65 थाने हैं। इन थानों में सीसीटीएनएस पोर्टल के माध्यम से पुलिस कार्यवाही से सम्बन्धित विभिन्न सूचनायें फीड की जाती हैं। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ अधिकारियों के लगभग 546 कार्यालय हैं जहॉ उपरोक्त कार्यवाही की समीक्षा होती है।

सीएम डैशबोर्ड, उत्तर प्रदेश शासन एवं मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा इन्हीं सूचनाओं के आधार पर पुलिस कार्यवाही की समीक्षा की जा रही है। वर्तमान में सीसीटीएनएस पोर्टल पर सूचनायें फीड करने एवं स्टेट डाटा सेन्टर को सिंक कराने लिए बीएसएनएल द्वारा 512 kbps band width की कनेक्टिविटी प्रदान की गयी है। पुलिस द्वारा इस band width में प्रमुखतः अपलोडिंग की ही कार्यवाही की जाती है और डाउन लोडिंग नगण्य होता है। व्यावहारिक रूप से जॉच करने पर पाया गया कि बीएसएनएल द्वारा प्रदत्त 512 kbps डेडीकेटेड नहीं होकर Sharing रूप से प्रदत्त है, जिससे कार्य करने हेतु थानों से केवल 40 से 50 प्रतिशत band width उपलब्ध हो पाता है अर्थात सम्बन्धित थाने मात्र 300 केबीपीएस पर ही काम करते हैं। इसके अतिरक्त नेटवर्क में Latency (विलम्ब) एवं Fluctuation (उतार–चढ़ाव) व अस्थिर unstable कनेक्टिविटी के कारण थाना स्तर से स्टेट डाटा सेन्टर में सूचनायें सिंक होने की प्रकिया बार–बार बाधित होती है। कम्प्यूटर द्वारा स्टेट डाटा सेन्टर के सर्वर से जेनरेटेड Ping response रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि सिंक करने की प्रकिया में बहुत ज्यादा पैकेट ड्रॉप (कनेक्टिविटी ब्रेक) होती रहती है।

इस तरह सीसीटीएनएस पोर्टल पर बहुत कम band width वाली कनेक्टिविटी जिसमें अस्थिरता बहुत ज्यादा है से हमेशा ऑन–लाइन चलाये रखने में समस्या उत्पन्न हो रही है। इस सम्बन्ध में एनआईआईटी जो उ0प्र0 में सीसीटीएनएस के लिए System Integrator है, उनके द्वारा भी इस सन्दर्भ में रिपोर्ट दिया गया है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों द्वारा भी अवगत कराया गया कि वर्तमान में सीसीटीएनएस से संबंधित 18 प्रपत्र फीड किये जा रहे हैं। CAS 4.5 वर्जन लागू होने पर ये सभी प्रपत्र एवं जीडी ऑन–लाइन ही फीड किये जायेंगे तो तीव्र गति की कनेक्टिविटी आवश्यक है।

बीएसएनएल जिनके द्वारा सीसीटीएनएस की कनेक्टिविटी प्रदान की गयी है। उनके द्वारा भी सर्वे कराया गया कि मात्र 2 Mbps की कनेक्टिविटी से सीसीटीएनएस को उ0प्र0 में जहॉ इतने अधिक थाना होने के कारण डाटा लोड ज्यादा है

केवल 2 Mbps Sharing band width उपयुक्त नहीं है क्योंकि इसमें केवल 800 kbps उपलब्ध हो पायेगा जो कि मात्र 40% है। उ0प्र0 सीसीटीएनएस व्यवस्था को निरन्तर सुचारू रूप से चलाने के लिए MPLS (Multi Protocol Label Switching) युक्त 2 Mbps प्रत्येक थाना के लिए डेडीकेटेड सेवा से ही सीसीटीएनएस से निरन्तर ऑन–लाइन मोड में चलना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्त के सन्दर्भ में अनुरोध है कि MPLS युक्त 2 Mbps band width की डेडीकेटेड कनेक्टिविटी प्रत्येक थाना पर कराये जाने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें, जिससे भविष्य में सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत सम्पूर्ण रूप से निरन्तर ऑन–लाइन कार्यवाही चलाये रखने में कोई समस्या नहीं होगी।

4/10

(आशुतोष पाण्डेय)
अपर पुलिस महानिदेशक,
तकनीकी सेवायें,उ0प्र0,
लखनऊ

प्रतिलिपिः– पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

03-10-2017

04-10-17